

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR RESEARCH ON GOATS  
MAKHDOOM, P.O.FARAH-281122, MATHURA (U.P.)

F. No. 5-16(2)/CP&C/2021

Dated: 23<sup>rd</sup> February, 2022

To

The In-charge AKM Unit,  
CIRG, Makhdoom.

Subject: Publication of Contract Notice – reg.

Sir,

Enclosed please find herewith Contract Notice towards “Contract for Sale of additional healthy animals, weak animals, skin and slaughter products” for uploading on Institute’s website.

Encls: As above.

Yours faithfully,

  
ASSTT. ADMN. OFFICER




भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान  
मखदूम, फरह – 281122, मथुरा (उ.प्र.)

मि.सं.5-16(2)/सीपीएण्डसी/2021

दिनांक 19 फरवरी, 2022  
23

वार्षिक दर अनुबन्ध सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में अतिरिक्त भेड व बकरी, खाल एवं स्लाटर प्रोडक्ट्स की बिक्री का वार्षिक दर अनुबन्ध अधिकतम बोली के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिए दिनांक 03.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे इस संस्थान के केन्द्रीय सभागार में किया जायेगा। अनुबन्ध सूचना, अन्य शर्तें व विवरण संस्थान की वेबसाइट [www.cirg.res.in](http://www.cirg.res.in) पर देखी जा सकती हैं।

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी




वार्षिक दर अनुबन्ध सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में अतिरिक्त भेड व बकरी, खाल एवं स्लाटर प्रोडक्टस की बिक्री का वार्षिक दर अनुबन्ध अधिकतम बोली के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिए दिनांक 03.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे इस संस्थान के केन्द्रीय सभागार में किया जायेगा।

क.सं.	नाम वस्तु	दर	धरोहर राशि (रुपये में.)
1.	स्वस्थ भेड व बकरी	रुपया (प्रति कि.ग्रा. जिन्दा वजन)	15,000.00
2.	बूढी भेड व बकरी	उपरोक्त	10,000.00
3.	मरी हुई भेड व बकरी की खाल एक दिन से अधिक आयु की	प्रति नग	5,000.00
4.	स्लाटर प्रोडक्टस – सिर, पैर, पेट, आँतडी, फेफडा, कलेजी, चर्बी, दिल, तिल्ली, गुर्दा, अम्नाश्य, टेस्टीज आदि	प्रति नग	5,000.00
			कुल योग रु.35,000.00

नोट –

1. धरोहर राशि रु.35,000.00 केवल डिमान्ड ड्राफ्ट/नगद के द्वारा ही जमा की जायेगी। डिमान्ड ड्राफ्ट आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.आई.आर.जी., मखदूम, के पक्ष में जो कि पंजाब नेशनल बैंक, फरह पर देय हो जमा करना होगा।
2. सफलतम बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर राशि को ही जमानत राशि के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा।
3. असफल बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर राशि को नीलामी के तुरन्त बाद वापिस कर दिया जायेगा।
4. उपरोक्त अनुबन्ध सूचना, अन्य शर्तें व विवरण संस्थान की वेबसाइट [www.cirg.res.in](http://www.cirg.res.in) पर देखी जा सकती हैं।
5. अनुबन्ध कर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि “मैं यह सत्यापित करता हूँ कि इन पशुओं का संस्थान की बकरी पालन की तकनीकियों के अनुसार पालन करूँगा एवं संबंधित राज्य सरकार के भेड/बकरी वध नियमावली के अनुसार ही वध करूँगा। यदि सरकारी नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा तथा संस्थान की इसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी।”

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी




भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान  
मखदूम, फरह – 281122, मथुरा (उ.प्र.)

मि.सं.5-16(2)/सीपीएण्डसी/2021

दिनांक 19 फरवरी, 2022  
23

भेड, बकरी, खाल एवं स्लॉटर प्रोडक्ट्स के अनुबन्ध की शर्तें

1. बोली लगाने का अधिकार निर्धारित धनराशि जमा करने पर ही होगा।
2. अधिकतम बोली लगाने वाले को ही आगामी एक वर्ष के लिए ठेका दिया जायेगा। धरोहर राशि सफल बोली लगाने वाले को छोड़कर अन्य को उसी समय वापिस कर दी जायेगी।
3. जिस जानवर को संस्थान द्वारा दिया जायेगा, वही लेना होगा।
4. ठेकेदार को समय से खाल उठानी होगी।
5. यदि ठेकेदार बीच में इस संस्थान की शर्तों के अनुसार अपना ठेका पूरा नहीं करेगा, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं की जायेगी।
6. अन्य शर्तें यदि कोई होंगी तो अनुबन्ध के समय सूचित कर दी जायेगी।
7. अनुबन्ध कर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि "मैं यह सत्यापित करता हूँ कि इन पशुओं का संस्थान की बकरी पालन की तकनीकियों के अनुसार पालन करूँगा एवं संबंधित राज्य सरकार के भेड/बकरी वध नियमावली के अनुसार ही वध करूँगा। यदि सरकारी नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा तथा संस्थान की इसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी।"
8. संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये किसी भी बोली को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. निदेशक का निर्णय हर परिस्थिति में अन्तिम तथा मान्य होगा।
10. ठेके के दौरान यदि कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा मथुरा जनपद न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा।

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी